A·A

(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
/ए.–4/470

दिनांक 16..

कार्यालय आदेश

...ण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त, कानपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपर आवास आयुक्त ...प्र0) के पत्र संख्या–509/समन्वय अनुभाग दिनांक 23.06.2014 द्वारा परिषद के निदेशक 228वीं बैठक में मद सं0–228/15 पर अंकित डा0 अम्बेडकरपुरम योजना संख्या–3, ...क्टर–ई (पार्ट) में स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 274 नग बहुमंजिल ... इन्क्लेव) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मा0 ...डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः उक्त के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती हैः–

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख मे)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	026193	डा0 अम्बेडकरपुरम योजना संख्या–3, कानपुर के सेक्टर–ई (पार्ट) में स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत गंगा इन्क्लेव में विभिन्न श्रेणी के 274 नग बहुमंजिले फ्लैटस के निर्माण कार्य।	10263.00	34/171

1– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।

2– कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों तथा स्वीकृत ले–आउट प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा एवं निर्धारित कार्यावधि में पूर्ण किया जायेगा।

3– परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।

4– उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दर के ऑकलन के आधार पर निर्गत की जा रही है। विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर तंकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

5– कार्य की विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

6– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों को आधार नही माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।

AE II

(सन्तू राम)
अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

E.E.

पृ0सं0: 2266 /ए–4/470
दिनांकः 27.6.2014

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव।
2. मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3–. मुख्य वास्तुविद नियोजक,उ0प्र0,आवास एवं विकास परिषद,इन्दिरा नगर लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5– अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, कानपुर।
6– अधिशासी अभियन्ता, तक0/निर्माण खण्ड–17, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,, लखनऊ/कानपुर।
7– मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

207

प्रतिलिपि No. 1745/10–11/150 दि 15-7-14

(1) E.E (D-2 ...) (5) ... कार्यवाही हेतु प्रेषित